सरल भाषा में कानून – हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम

[For Para-Legals/ पराविधिक सेवकों के लिए]

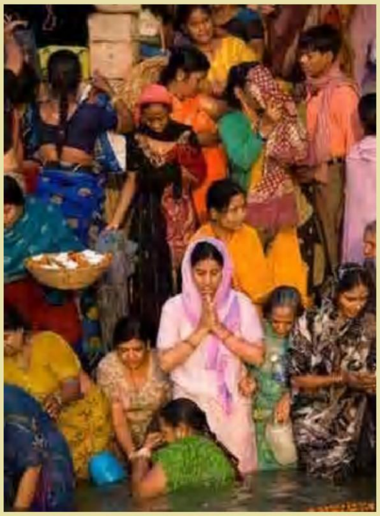

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

[HALSA / हालसा]

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

मुख्य संरक्षक
माननीय न्यायमूर्ति श्री मुकुल मुदगल
मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

कार्यकारी अध्यक्ष
माननीय न्यायमूर्ति श्री आदर्श कुमार गोयल
न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

सदस्य सचिव
श्री हरिन्द्र सिंह भन्गू
जिला एवं सत्र न्यायाधीश

प्रकाशक:
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
एस.सी.ओ. 142–143, पहली मंजिल, सैक्टर 34 ए, चण्डीगढ़।
दूरभाष 0172–2604055, फैक्स 0172–2622875

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम

यह कानून स्वर्ग सिधार चुके हिंदुओं के उत्तराधिकार से जुड़ा है और यह वैसे सभी लोगों पर लागू होता है, जो हिंदु धर्म से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा यह कानून बौद्ध, सिख, और जैन समुदाय के लोगों पर भी लागू होता है। अगर कोई शख्स बिना वसीयत छोड़े गुजर जाता है, तो क्लास वन उत्तराधिकारी की सूची में शामिल लोगों को अन्य क्लास के उत्तराधिकारियों की तुलना में तवज्जो दी जाती है।

कानून में संशोधन से पहले इन लोगों को क्लास वन उत्तराधिकारी की सूची में रखा जाता था। 1.बेटा, बेटी, विधवा, मां 2.दिवंगत हो चुके बेटे का बेटा 3.दिवंगत हो चुके बेटे की बेटी 4.दिवंगत हो चुकी बेटी का बेटा 5.दिवंगत हो चुकी बेटी की बेटी 6.दिवंगत हो चुके बेटे की विधवा । संशोधन के बाद कुछ और वारिसों को क्लास वन उत्तराधिकारी की सूची में शामिल कर लिया गया है: 1.दिवंगत हो चुकी बेटी की दिवंगत बेटी का बेटा 2.दिवंगत हो चुकी बेटी की दिवंगत बेटी की बेटी 3.दिवंगत हो चुकी बेटी के दिवंगत बेटे का बेटा 4.दिवंगत हो चुकी बेटी के दिवंगत बेटे की बेटी

क्लास टू के तहत कई कैटिगरी हैं। पिता को पहली कैटिगरी में शुमार किया गया है, जबकि नीचे लिखे वारिसों को कैटिगरी टू में शामिल किया गया है। 1.बेटे की बेटी का बेटा 2.बेटी के बेटे की बेटी 3.भाई-बहन

कैटिगरी थ्री में इन लोगों को शुमार किया गया है 1.बेटी के बेटे का बेटा 2.बेटी के बेटे की बेटी 3.बेटी की बेटी की बेटी 4.बेटी की बेटी का बेटा। पिता को क्लास वन की सूची में शुमार नहीं किया गया है। इसके अलावा बेटे की बेटी के पुत्र और बेटी के बेटे के बेटे को क्लास वन की सूची में शुमार नहीं किया गया है। क्लास टू में 9 कैटिगरी हैं। अगर मृतक का इन सूची में वर्णित कोई भी उत्तराधिकारी नहीं पाया जाता है, तो नियमों के मुताबिक, सरकार उसकी संपत्ति का अधिग्रहण कर लेगी।

हिंदु उत्तराधिकार कानून 1956 के तहत अगर किसी महिला की मौत अपनी संपत्ति की वसीयत छोड़े बगैर होती है, तो उसकी संपत्ति का बंटवारा कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले इस पर बेटों और बेटियों (दिवंगत बेटी और बेटे की संतानें भी शामिल) और पति का हक होगा। इसके बाद पति के वारिसों का हक बनता है। तीसरा हक माता और पिता का। चौथा पिता के उतराधिकारियों का। और सबसे अंत में माता के उत्तराधिकारियों का। बहरहाल अगर किसी महिला ने अपने माता-पिता से संपत्ति हासिल की है तो उस महिला के कोई संतान नहीं होने की सूरत में (जीवित या मृत) उसकी संपत्ति पर उसके पिता के वारिसों का हक होगा। अगर दिवंगत महिला ने यह संपत्ति अपने पति या ससुर से ग्रहण किया हो और उस महिला की कोई संतान न हो तो उसकी संपत्ति पर हक उसके पति के वारिसों का होगा।

1. *हिन्दू महिला के सम्पत्ति में अधिकार –*

1956 के अधिनियम से पहले हिन्दू महिला को सम्पत्ति में केवल सीमित अधिकार थे। 1956 के अधिनियम के बाद – किसी भी महिला के कब्जे में जो सम्पत्ति है वह उसकी पूर्णतया मालकिन है चाहे वह उसने 1956 से पहले अधिग्रहण की हो या 1956 के बाद अधिग्रहण की हो और परिणामस्वरूप अपनी इच्छानुसार उसे संपत्ति को बेचने व वसीयत करने के पूरे अधिकार हैं।

सम्पति के अधिकार

हमारा कानून महिलाओं को यह हक देता है कि वह अपने लिए, अपने नाम से सम्पति खरीद सकें। आदमियों की तरह ही, औरतों को भी सम्पति का मालिक होने का हक है। कानून के अनुसारः

- हर औरत को अपने लिए, अपने नाम से सम्पति खरीदने और रखने का अधिकार है।
- कोई औरत अपनी सम्पति का जो चाहे कर सकती है – चाहे वह सम्पति उसे मिली हो, या उसकी कमाई की हो।
- हर औरत को यह हक है कि अपनी कमाई के पैसे वह खुद ले। वह उन पैसों से जो भी करना चाहे कर सकती है।
- औरतों को अपने माता–पिता या दूसरे रिश्तेदारों की सम्पति का हिस्सा भी मिल सकता है। उनको किस से और कितना हिस्सा मिल सकता है यह उनके निजी कानून पर निर्भर करता है। निजी कानून का मतलब है, वह कानून जो किसी के समुदाय पर लागू होते हैं।

स्त्रीधन –

किसी भी हिन्दू महिला को मिले हुए गहने और अन्य उपहार पूर्णतया उसकी संपत्ति है और इसलिए वह संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति के विभाजन का हिस्सा नहीं हो सकती।

खानदानी सम्पति/संयुक्त हिन्दू परिवार सम्पति में महिलाओं के क्या अधिकार हैं

- खानदानी सम्पति वह सम्पति होती थी जो हिन्दू पुरूष को अपने पुरूष पूर्वजों से मिलती थी।
- किसी भी हिन्दू पुरूष का जन्म से ही अपने परिवार की खानदानी सम्पति पर अधिकार होता था।
- लडकियों का खानदानी सम्पति में जन्म से कोई अधिकार नहीं था। उन्हें खानदानी सम्पति में से खाने–पीने, रहने, पढ़ाई व शादी का खर्चा मिलने का हक था।

अब इस कानून में बदलाव आया है। इस बदलाव के अनुसार –

- लड़कियों को खानदानी सम्पति में उसी प्रकार जन्म से अधिकार है, जैसे किसी हिन्दू पुरूष को।
- यदि कोई खानदानी सम्पति दिनांक 20 दिसम्बर 2004 से पहले बेची या वसीयत की गई है तब यह संशोधन इस सम्पति पर लागू नहीं होगा।
- यदि कोई खानदानी सम्पति का बँटवारा कोर्ट द्वारा या किसी रजिस्टर्ड डीड से 20.12.2004 से पहले हुआ है तब यह कानून इस सम्पति पर लागू नहीं होगा।

- खानदानी सम्पति में से कोई महिला अपने हिस्से की वसीयत लिख सकती है। यानि यह तय कर सकती है कि उसकी मत्यु के बाद खानदानी सम्पति में उसके अपने हिस्से का क्या किया जाए।
- लेकिन अगर उसने अपने हिस्से की वसीयत न लिखी हो तो, उसके हिस्से की सम्पति उसके वारिसों में बराबर–बराबर बंट जाएगी।

महिला के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम –

महिला के मरणोपरान्त उसकी संपत्ति का हकदार कौन होगा अगर वसीयत न की गई हो।

1. पहले – पुत्र और पुत्रियां (जिनमें पहले मर चुके पुत्र या पुत्री के बच्चे भी शामिल हैं) और पति,
2. दूसरे – पति के उत्तराधिकारी,
3. तीसरे – माता और पिता,
4. चौथे – पिता के उत्तराधिकारी,
5. पाँचवा – माता के उत्तराधिकारी।

श्रेणी 1 में दर्ज उत्तराधिकारी को उसके बाद दर्ज की गई श्रेणी से प्राथमिकता दी जाएगी इत्यादि। एक श्रेणी में दर्ज उत्तराधिकारी एक साथ वारिस बनेंगे। पहले मर चुके पुत्र या पुत्री के उत्तराधिकारी आपस में उस पुत्र/पुत्री का हिस्सा बराबर बांटेंगे।

2. *हिन्दू पुरुषों के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम*

हिन्दू पुरुष की सम्पति उसके मरणोपरान्त किस–किस को हस्तांतरित होगी –

क) पहला – अनुसूची के श्रेणी 1 में वर्णित उत्तराधिकारियों को, जो निम्नलिखित हैं

(पुत्र; पुत्री; विधवा; माता; पहले मर चुके पुत्र का पुत्र; पहले मर चुके पुत्र की पुत्री; पहले मर चुकी पुत्री का पुत्र; पहले मर चुकी पुत्री की पुत्री; पहले मर चुके पुत्र की विधवा; पहले मर चुके पुत्र के मर चुके पुत्र का पुत्र; पहले मर चुके पुत्र के मर चुके पुत्र की पुत्री; पहले मर चुके पुत्र के मर चुके पुत्र की विधवा; [पहले मर चुकी पुत्री की मर चुकी पुत्री का पुत्र; पहले मर चुकी पुत्री की मर चुकी पुत्री की पुत्री; पहले मर चुके पुत्र की मर चुकी पुत्री की पुत्री; पहले मर चुकी पुत्री के मर चुके पुत्र की पुत्री]

ख) दूसरा – अनुसूची के श्रेणी 2 में वर्णित उत्तराधिकारी को, जो निम्नलिखित हैं –

1. पिता।
2. पुत्र की पुत्री का पुत्र; पत्र की पुत्री की पुत्री; भाई; बहन।
3. पुत्री के पुत्र का पुत्र; पुत्री के पुत्र की पुत्री; पुत्री की पुत्री का पुत्र; पुत्री की पुत्री की पुत्री
4. भाई का पुत्र; बहन का पुत्र; भाई की पुत्री; बहन की पुत्री।
5. पिता का पिता; पिता की माता।

6. पिता की विधवा; भाई की विधवा।
7. पिता का भाई; पिता की बहन।
8. माता का पिता; माता की माता।
9. माता का भाई; माता की बहन।

ग) तीसरा – मृतक के सगोत्र (Agnates) (पिता पक्ष) को,
[सगोत्र (Agnates) – जिससे रिश्ता केवल पुरूष पीढ़ी द्वारा हो, चाहे खून का रिश्ता हो या गोद लेने के कारण रिश्ता हो]

घ) अंततः – मृतक के सजातीय (Cognates),
[सजातीय (Cognates) – जिससे रिश्ता पुरूष पीढ़ी या महिला पीढ़ी द्वारा हो, रिश्ता चाहे खून का हो या गोद लेने के कारण हो]

श्रेणी 1 में वर्णित सब उत्तराधिकारी एक साथ उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं और उनके होते हुए दूसरे वारिसों को कोई हक नहीं मिलता।

श्रेणी 2 के उत्तराधिकारी के संबंध में –

जो पहले इंद्राज (Entry) में दर्ज हैं, उनका हक पहला होगा और जो दूसरे इंद्राज (Entry) पर दर्ज हैं, उनका हक बाद में होगा, इत्यादि।

श्रेणी 1 के उत्तराधिकारियों में सम्पत्ति का बंटवारा –

1. सभी विधवाओं को एक हिस्सा मिलेगा।

2. जीवित पुत्र, पुत्रियां और माता को एक–एक हिस्सा मिलेगा।

3. पहले मर चुके पुत्र या पुत्री के सभी उत्तराधिकारियों को उस पुत्र या पुत्री का एक हिस्सा मिलेगा।

वसीयत करने का हक –

कोई भी हिन्दू (पुरुष/महिला) वसीयत के द्वारा किसी भी संपति का निपटान कर सकता है जिसका निपटान वह भारतीय उतराधिकारी अधिनियम के अनुसार कर सकता है।

हिन्दू मिताक्शरा संयुक्त सम्पति के पुरूष या महिला का हिस्सा भी एक ऐसी सम्पति मानी जाती है जिसका निपटारा वह पुरूष/महिला कर सकते हैं।

---000---

मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित से सम्पर्क कर सकते हैं –

1. उपमण्डल स्तर पर – अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवम् अध्यक्ष, उपमण्डल विधिक सेवा समिति।

2. जिला स्तर पर – जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवम अध्यक्ष/मुख्य दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।

3. हाई कोर्ट/राज्य स्तर पर – कार्यकारी अध्यक्ष/सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एस.सी.ओ.142–143, पहली मंजिल, सैक्टर 34–ए, चण्डीगढ़।
   दूरभाष 0172–2604055

   – सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, चण्डीगढ़। दूरभाष 0172–6607530

4. सुप्रीम कोर्ट स्तर पर – सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, 12/11, जामनगर हाउस, नई दिल्ली। दूरभाष 011–23385321

   – सचिव, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, 109, लायर्ज चैम्बरज, पोस्ट आफिस विंग, सुप्रीम कोर्ट कम्पाउण्ड, नई दिल्ली। दूरभाष 011–23073970

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

एस.सी.ओ 142–143, सैक्टर 34–ए, चण्डीगढ़। फोन: 0172–2604055, फैक्स: 0172–2622875

ई–मेल: hslsa@chd.nic.in, वैबसाईट: www.hslsa.nic.in